उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5

अधिसूचना

प्रकीर्ण

06 अप्रैल, 2020 ई0

संख्या 231/XXVIII(1)/20–22(सामान्य)/2015––राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) के नर्सिंग सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2020

भाग–1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली, उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2020 कहलायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) (अराजपत्रित) नर्सिंग संवर्ग सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में –
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।
(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है।
(ग) "बोर्ड से" उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अभिप्रेत है।
(घ) "संविधान" से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है।
(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।
(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।
(छ) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।
(ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) अराजपत्रित नर्सिंग सेवा से है।
(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो तथा
(ञ) "भर्ती का वर्ष" से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2–संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।
(2) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट–क में दी गयी है, परन्तु उपबन्ध यह है कि –
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
(दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

भाग 3–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी–

श्रेणी 'ग'

(क) सिस्टर नर्सिंग : मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे स्थायी स्टाफ नर्स में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा।

(ख) स्टाफ नर्स : शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा कुल पदों का 80 प्रतिशत महिला उपचारिका और 20 प्रतिशत पुरूष उपचारक होंगे। चयन वर्ष में महिला/पुरूष उपचारिकाओं/उपचारकों के कुल उपलब्ध रिक्त पदों में से 70 प्रतिशत पद जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों तथा 30 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिग्री धारक अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4–अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए ; या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु, उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी: जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8. सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हताएँ होनी आवश्यक है–

पद		अर्हता
स्टाफ नर्स	(क)	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से इण्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में डिप्लोमा अथवा बी0एस0सी0 (नर्सिंग) परीक्षा उत्तीर्ण की गयी हो।
	(ख)	अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड नर्स तथा धात्री परिषद् में रजिस्ट्रीकरण के योग्य जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी का डिप्लोमा अथवा बी0एस0सी0 नर्सिंग की डिग्री हो। बी0एस0सी0 नर्सिंग के डिग्रीधारकों के पास राज्य

सरकार के चिकित्सा संकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 01 वर्ष का नर्सिंग कार्य का अनुभव होना आवश्यक है।

(ग) नर्सिंग काउन्सिल, उत्तराखण्ड में रजिस्ट्रीकृत हो।

अनिवार्य/ वांछनीय अर्हता

9. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित शर्तों/उपबन्धों के अनुसार होगी।

अधिमानी अर्हता

10. (क) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो ; या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

11. जिस कलैण्डर वर्ष में रिक्तियों आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय या यथास्थिति, ऐसी रिक्तियाँ सेवायोजन कार्यालय को सूचित की जायें, उस वर्ष की 01 जुलाई को शासन द्वारा समय–समय पर यथा विहित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए।

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

12. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

13. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसका एक से अधिक पति जीवित हो ;

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता

14. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व, उससे–

(क) सेवा में अन्य पदों के मामले में द्वितीय हस्त पुस्तिका खण्ड II भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है :

<u>परन्तु यह कि–</u>

1) दिव्यांगत अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या–49)की धारा 33 के कम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत संदर्भित में दिव्यांग जनों को नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने से मना नहीं किया जायेगा।

2) पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

<u>भाग 5–भर्ती की प्रक्रिया</u>

रिक्तियों की अवधारणा

15. नियुक्ति प्राधिकारी/चयन बोर्ड वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवायोजन कार्यालय/चयन बोर्ड को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. सेवा में सीधी भर्ती पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित उपबन्धों के अधीन उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जायेगी।

पदोन्नति के लिए भर्ती प्रक्रिया

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित उपबन्धों के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ कार्मिक विभाग के उत्तराखण्ड चयनोन्ति पात्रता सूची नियमावली 2003 के अनुसार तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजिकाओं तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, विभागीय चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) विभागीय चयन समिति द्वारा उप नियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

भाग 6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 16, 17 अथवा 18 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी तब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम–18 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम–18 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और जहाँ पद आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के विनियम 5 (क) के प्राविधान लागू होंगे।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे :

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिविक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण 20. (1) उपनियम–(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा; यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय;
(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय;
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) यदि "उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002" के अन्तर्गत स्थायीकरण आवश्यक न हो तो उक्त नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन जारी किया यह आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 21. किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

भाग 7–वेतन आदि

वेतनमान 22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय सेवा के विभिन्न पदों के वेतनमान वह होंगे जिनका उल्लेख परिशिष्ट (क) में दिया गया है ।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जावेगी :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में है, सरकार के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जावेगा।

पक्ष समर्थन

24. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक पर विचार नहीं किया जावेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लाग विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

भाग 8--अन्य उपबन्ध

सेवा की शर्तों में शिथिलीकरण

26. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट--क

पदनाम, वेतनमान एवं पदों की संख्या

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	सिस्टर नर्सिंग	₹ 47,600-1,51,100 (लेवल-8)	160
2.	स्टॉफ नर्स	₹ 44,900-1,42,400 (लेवल-7)	1091

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

टिप्पणी--राजपत्र, दिनांक 09-05-2020, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित---]
पी०एस०यू० (आर०ई०) 03 चिकित्सा/149-18-05-2020-150 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।